जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम–डोमरी

विकासखंड–काशी विद्यापीठ

जनपद–वाराणसी

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

सूक्ष्म नियोजन	
ग्राम पंचायत	डोमरी
विकासखंड	काशी विद्यापीठ
जनपद	वाराणसी
राज्य	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	24,03,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष (2020–2024)

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2019

विषय – वस्तु	
परिचय	1
सहमति पत्र	3
भाग – 1 प्रस्तावना	5
भाग – 2 ग्राम पंचायत का विवरण	7
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	7
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	7
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	8
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	8
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	8
2.6 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण	8
2.7 ग्राम पंचायत तक पंहुच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	9
2.8 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	9
2.9 कृषि एवं पशुपालन	**9**
2.10 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता	**10**
2.11 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण	10
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी	**10**
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	**11**
भाग – 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	12
भाग – 4 समस्या विश्लेषण	14
भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य	16
भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियां तथा रणनीति	18
6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां	18
6.1.2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	18

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियां	19
6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां	20
6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत	21
6.1.6 जैव विविधता संबंधी गतिविधियां	21
6.1.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां	22
6.1.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां	22
6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	23
भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	25
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	25
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	29
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	31
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	31
7.5 विवाद का निपटारा	32
7.6 अभिलेखों का रखरखाव	32
7.7 सफलता के सूचक	33
अनुलग्नक	
1 समझौता ज्ञापन	34
2 सामाजिक मानचित्र	35
3 सामुदायिक बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची	36
4 फोटो गैलरी	38

मानचित्र

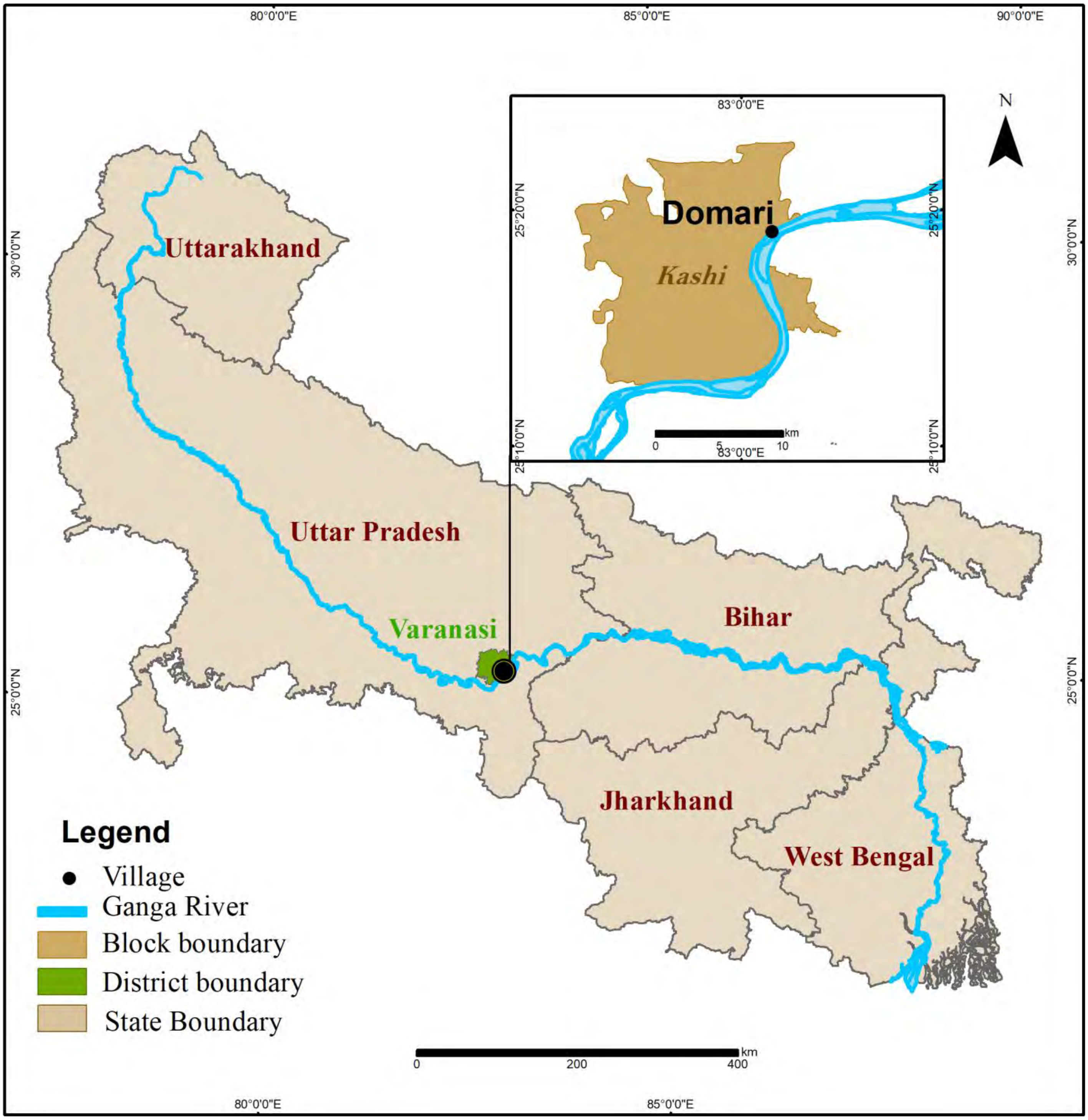

80°0'0"E
85°0'0"E
90°0'0"E
30°0'0"N
25°0'0"N
83°0'0"E
25°20'0"N
25°10'0"N
Domari
Kashi
0
5
10
km
N
Uttarakhand
Uttar Pradesh
Varanasi
Bihar
Jharkhand
West Bengal
Legend
Village
Ganga River
Block boundary
District boundary
State Boundary
0
200
400
km

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को संरक्षित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इस परियोजना में जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, वर्ष 2020 तक इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनरूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं।

गंगा की जैव विविधता को बचाने के लिए स्थानीय समुदाय और अन्य हितधारकों का जुड़ना आवश्यक है, साथ ही जैव विविधता का उनके दैनिक एवं सामान्य जीवन को शामिल करना भी अनिवार्य है। इसके लिए सूक्ष्म नियेजन विधि का प्रयोग किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन कि प्रक्रिया हो जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित (Decentralised), सतत (Sustainable) एवं सहभागी (Participatory) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (Top to bottom) न होकर नीचे से ऊपर (Bottom to top) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

सहमति पत्र

ग्राम - पंचायत, डोमरी

विकास खण्ड काशी विद्यापीठ, वाराणसी न्याय पंचायत सिरगोर्वधनपुर

छोटेलाल पटेल
ग्राम प्रधान
मो0- 9839188874

निवास- ग्राम- डोमरी
पो0- कुष्ठ सेवा आश्रम, पड़ाव
जि. वाराणसी - 221008

पत्रांक : ....   दिनांक : 12/5/19

सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नमामि गंगे के अन्तर्गत जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत- डोमरी, विकास खण्ड, काशी विद्यापीठ- जि० वाराणसी में विभिन्न बैठक, कार्यशालाओं, एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित कि गई है, समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैव-विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना पर सामुदायिक बैठक मे चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति दि गई है, ग्राम पंचायत मे इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम समुदाय भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मि० के साथ भागीदारी हेतु तैयार है।

ग्राम पंचायत–डोमरी
ग्राम प्रधान
वि० ख० का० वि० पी०

12-5-19

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

भाग – 1 प्रस्तावना

ग्राम पंचायत	डोमरी
अवस्थिति	25.315832 अक्षांश एवं 83.024053 देशान्तर
विकासखंड	काशी विद्यापीठ
जिला	वाराणसी
राज्य	उत्तर प्रदेश
मुख्यालय वाराणसी से दूरी	4 कि0मी0
तहसील मुख्यालय सदर से दूरी	7.5 कि0मी0
गंगा नदी से दूरी	0.5 कि0मी0
कुल जनसंख्या	5980
कुल परिवार	730
मुख्य जातियां	पटेल, निषाद, हरिजन, नाई, कहार, मल्लाह, ब्रहमण, राजभर, गोंड, गुप्ता, यादव, ठाकुर
मुख्य समस्याएं	• जैव विविधता संरक्षण संबंधी जागरूकता की कमी • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना • आजीविका हेतु गंगा नदी पर निर्भरता • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना

प्रस्तावित गतिविधियां	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियां • स्वच्छता संबंधी गतिविधियां • वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत • जैव विविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां • कृषि विकास संबंधी गतिविधियां • पशुपालन संबंधी गतिविधियां

भाग – 2

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण

ग्राम पंचायत डोमरी उत्तर प्रदेष राज्य के वाराणसी जनपद के विकासखंड काशी विद्यापीठ में स्थित है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से 313 कि.मी. तथा जिला मुख्यालय वाराणसी से 10 कि0मी0 दूरी पर उत्तर दिषा में स्थित है। यहां की मुख्य भाषा हिन्दी है, तथा यहां पर भोजपुरी एवं उर्दु भी बोली जाती है। यहां का मुख्य व्यवसाय हथकरघा एवं लघु व्यवसाय है। यह ग्राम पंचायत वाराणसी सदर तहसील में आती है। गंगा नदी से ग्राम पंचायत की दूरी 0.5 कि0मी0 है। यहां का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 386.07 हेक्टेयर है। डोमरी ग्राम पंचायत के नजदीक सूजाबाद, पड़ाव, आदमपुरा, चौक, बुलानाला, कोतवाली, जैतपुरा आदि ग्राम पंचायत स्थित हैं ।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों का चयन गंगा की जलीय जैव विविधता की उपस्थिति के आधार पर किया गया। जिन स्थानों पर गंगा की जलीय जैव विविधता अधिक पाई गई उन stretches को चिन्हित कर उनके आसपास गंगा किनारे की ग्राम पंचायतों का चयन कार्यक्रम के अर्न्तगत किया गया। ग्राम पंचायत डोमरी में लोगों की आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता है, जिनमें घड़ियाल, मगरमच्छ, गांगेय डॉल्फिन, कछुए, विभिन्न प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। लोगों की गंगा पर निर्भरता होने व जागरूकता की कमी का सीधा प्रभाव गंगा की जैव विविधता पर पड़ रहा है। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण व उस स्थान पर जलीय जैव विविधता की उपस्थिति के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम चयन के निम्न मानक रखे गये –

1. गंगा नदी से समीपता
2. जैव विविधता संसाधनों की उपलब्धता
3. गंगा नदी एवं उसकी जैव विविधता संसाधनों पर निर्भरता
4. जैव विविधता संसाधनों पर निर्भरता के प्रभाव
5. कार्यक्रम में शामिल होने हेतु समुदाय की तत्परता/इच्छा
6. ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति
7. मल्लाह समुदाय की बहुलता
8. गंगा की जैव विविधता के अर्न्तगत डॉल्फिन साइट तथा कछुओं का प्रजनन स्थल

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित गावों के संबंध में जानकारी लेने के लिये जिला प्रशासन में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी से बैठक करने के उपरान्त जिले में गंगा के किनारे बसे व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों की सूची ली गयी। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया। ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उददेश्यों को बताया गया। ग्राम पंचायत की सहमति के बाद ग्राम पंचायत को परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण

ग्राम पंचायत डोमरी, वाराणसी में मालवीय पुल से रामनगर के किले तक घोषित, कछुआ सेंचुरी के अन्तर्गत आता है। डोमरी में कुल 730 परिवार निवास करते हैं। यहां की कुल जनसंख्या 5980 जिनमें 3370 पुरूष और 2610 महिलाएँ हैं। डोमरी ग्राम पंचायत में पटेल, निषाद, हरिजन, नाई, कहार, मल्लाह, ब्राह्मण, राजभर, गोंड, गुप्ता, यादव, ठाकुर आदि जातियों के लोग रहते हैं। ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर 46.72 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सरकारी प्राइमरी विद्यालय तथा 3 प्राइवेट विद्यालय हैं। यहां पर 2 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय

ग्राम पंचायत डोमरी में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। यहां पर विभिन्न स्थानों से लोग आकर बसे हैं। ग्राम पंचायत में 730 परिवारों में से कुल 110 परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। यहां पर रहने वाले परिवार मजदूरी, हथकरघा, लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन एवं प्राइवेट नौकरी पर आश्रित हैं। कुल परिवारों में से 40 परिवार हथकरघा, 40 परिवार घरेलू उद्योग (प्लास्टिक डिबिया, कपड़ा बैग आदि बनाना), 18 परिवार कृषि तथा 20 परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं। 20 परिवार नाविक, मछुआरे आदि हैं जो कि गंगा नदी में नाव चलाने व मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, उनकी आजीविका प्रत्यक्ष रूप से गंगा पर आश्रित है तथा 592 परिवार दैनिक तथा मौसमी मजदूरी करते हैं।

2.6 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण

गंगा के किनारे स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत में जल का मुख्य स्रोत गंगा नदी है। ग्राम पंचायत में पेयजल एवं सिंचाई हेतु सबमर्सिबल पंप, हैंडपम्प एवं कुएं हैं। निजी तथा सरकारी नलकूपों के द्वारा कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। ग्राम पंचायत डोमरी में 2 सोलर पम्प भी हैं, जिनका उपयोग भी सिंचाई हेतु किया जाता है। वर्षा का जल तथा ग्राम पंचायत का गंदा पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित होता है।

2.7 ग्राम पंचायत तक पहुंच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति

डोमरी ग्राम पंचायत में वर्तमान में सड़क मार्ग से ही आवागमन किया जाता है। निकटस्थ रेलवे स्टेशन ग्राम पंचायत से 1.5 कि.मी. दूर काषी में तथा वाराणसी जंक्षन 2.3 कि.मी. की दूरी पर है। यातायात व आवागमन के सभी साधन उपलब्ध हैं। गांव में टेलिफोन सुविधा के अतिरिक्त प्राथमिक, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान व डाकघर आदि सुविधाओं की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत में कच्चे तथा पक्के दोनों तरह के सम्पर्क मार्ग हैं।

2.8 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति

डोमरी ग्राम पंचायत में स्वच्छ पेयजल हेतु 59 हैंडपंप व 1 टयूबबैल है, परन्तु अशुद्ध जल होने के कारण टयूबबैल का उपयोग नहीं किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान मंत्री के आदर्श ग्राम के अर्न्तगत चयनित है, यहां पर पानी की टंकी का निर्माण किया जा चुका है, ग्राम पंचायत में पेयजल उपलब्ध करने हेतु 4 जल शुद्ध करने वाली मशीन (RO) लगाई गई हैं जिसमें 1 मशीन से लगभग 40 से 45 परिवार पानी पीते हैं। गांव में कुल 730 परिवारों में से केवल 398 परिवारों के पास शौचालय हैं जिसमें से कुल 314 परिवार ही शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। शौचालय निर्माण एवं शौचालयों का प्रयोग करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेकों जागरुकता कार्यक्रम चलाये गये। शौचालय का प्रयोग न करने वाले तथा शौचालयविहीन परिवारों के सदस्य नदी के किनारे एवं खेतों में शौच हेतु जाते हैं। ग्राम पंचायत में कूड़ा (Solid and liquid waste) निस्तारण के लिए सरकार द्वारा एस.एल.आर.एम. के तहत पंचायत स्तर पर ढांचा तैयार करना प्रस्तावित है। गांव में पंचायत भवन तथा प्राथमिक विद्यालय सहित कुल 8 कूड़ेदान ग्राम पंचायत के द्वारा लगाये गये हैं, लेकिन कूड़ा निपटान की कोई व्यवस्था नहीं है। समुदाय द्वारा अपने खेतों में जलाकर या इधर उधर फेंककर कूड़े का निस्तारण किया जाता है।

2.9 कृषि एवं पशुपालन

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत मजदूरी तथा कृषि है। कुल 10 हैक्टेयर कृषि भूमि पर 40 परिवार खेती करते हैं, कछुआ सेंचुरी के अन्तर्गत आने के कारण गंगा किनारे खेती नहीं की जाती है। कृषि भूमि पर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। डोमरी ग्राम पंचायत में 200 परिवारों के पास कुल 368 पशु हैं, जिनमें से 55 गाय, 89 भैंसें तथा 224 बकरियां हैं। 25 परिवारों के द्वारा बकरियों का व्यवसाय किया जाता है। पशुओं का चारा खेतों एवं गंगा किनारे से लाया जाता है। गंगा किनारे हिगुआ, भम्भार, भरततिया, दूब, कुश, कांस आदि घासें पाई जाती हैं।

2.10 समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता

गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण समुदाय की गंगा नदी पर निर्भरता है। समुदाय धार्मिक क्रियाकलापों, गतिविधियों, नौकायन, कृषि आदि के लिये गंगा पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में 20 मल्लाह परिवारों के द्वारा मछली पकड़ने व नाविक के रूप में कार्य किया जाता है। यहां पर बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु मजदूरी, हथकरघा एवं घरेलू उद्योग पर निर्भर हैं। कृषि के लिये जल व पशुओं के चारे हेतु समुदाय की गंगा व उसके आसपास की वनस्पति पर निर्भरता है। डोमरी ग्राम पंचायत में कुल 10 हैक्टेयर भूमि पर 40 परिवार कृषि करते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गेंहू, दाल, मक्का, टमाटर, बैंगन, तुरई, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि की खेती की जाती है।

2.11 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण

ग्राम पंचायत के आस पास नीम, पीपल, गूलर, शीशम, आम, अमरूद, जामुन, बबूल, बांस, हल, बरगद, नीम, अशोक, महुआ, पापुलर, यूकेलिपटिस आदि वन सम्पदा पायी जाती है। गंगा नदी के किनारे हिंगुआ, भम्भार, भरततिया, दूब, कुश, कांस आदि घास पाई जाती हैं। यहां पर गंगा नदी की जैव विवधिता भी प्रचुर मात्रा में है, जिसमें कछुये, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, प्रवासी पक्षी आदि पाये जाते हैं। आजीविका हेतु गंगा पर निर्भरता के कारण गंगा नदी की जैवविविधता को खतरा बना हुआ है। मछली पकड़ने, गंगा नदी के तटों पर आवागमन, चारे हेतु गंगा के किनारों की वनस्पति (घास) का उपयोग किये जाने के कारण जलीय जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी

डोमरी ग्राम पंचायत में अभी जैवविविधता संरक्षण हेतु नमामि गंगे के तहत जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा संचालित है। अन्य कोई योजना संचालित नहीं है। इस क्षेत्र में जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। जिसमें कछुओं की विभिन्न प्रजाति, मछलियां जैसे कारपियो, चनना, रोहू, कतला पाई जाती है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

डोमरी ग्राम पंचायत के समुदाय आधारित संस्थाओं की संख्या एवं विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	कार्यक्रम का नाम	कार्यरत संस्था /व्यक्ति का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह (5)	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	75	सभी समूह सदस्य बैकिंग प्रक्रिया से जुड़े है। दो पुराने समूह तथा 3 समूह नये है। सभी समूहों को एस0आर0एल0एम कार्यक्रम के अंतर्गत 15000 रु0 तथा बैंक सी0सी0एल0 हो चुका है। रिवाल्विंग फंड अनुदान दिया गया है।
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	1 मुख्यकार्यकर्ता एवं 1 संगिनी	
3	समेकित बाल विकास कार्यक्रम	आंागनबाड़ी	3 आंागनबाड़ी केन्द्र	200	
4	नेहरु युवा केन्द्र संगठन	नेहरु युवा केन्द्र	युवा कल्याण	15	
5.	उज्जवला योजना		महिला एवं बाल स्वास्थ्य	275	

भाग – 3 हितधारक (Stakeholders)

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वंय सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया–

- स्थानीय समुदाय
- धार्मिक समूह
- विद्यालय के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- युवक मंगल दल/महिला मंगल दल/नेहरु युवा केन्द्र के सदस्य
- महिलायें एवं किशोरियाँ
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी – स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, उद्यान विभाग, गैर सरकारी संस्थायें।

- केन्द्रीय मंत्रालय – जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

  गंगा नदी की जैव विविधता संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (समितियों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गंगा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्संबधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गंगा की जैव विविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गंगा नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। यह मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निर्भरता को समझने एवं गंगा नदी के संरक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

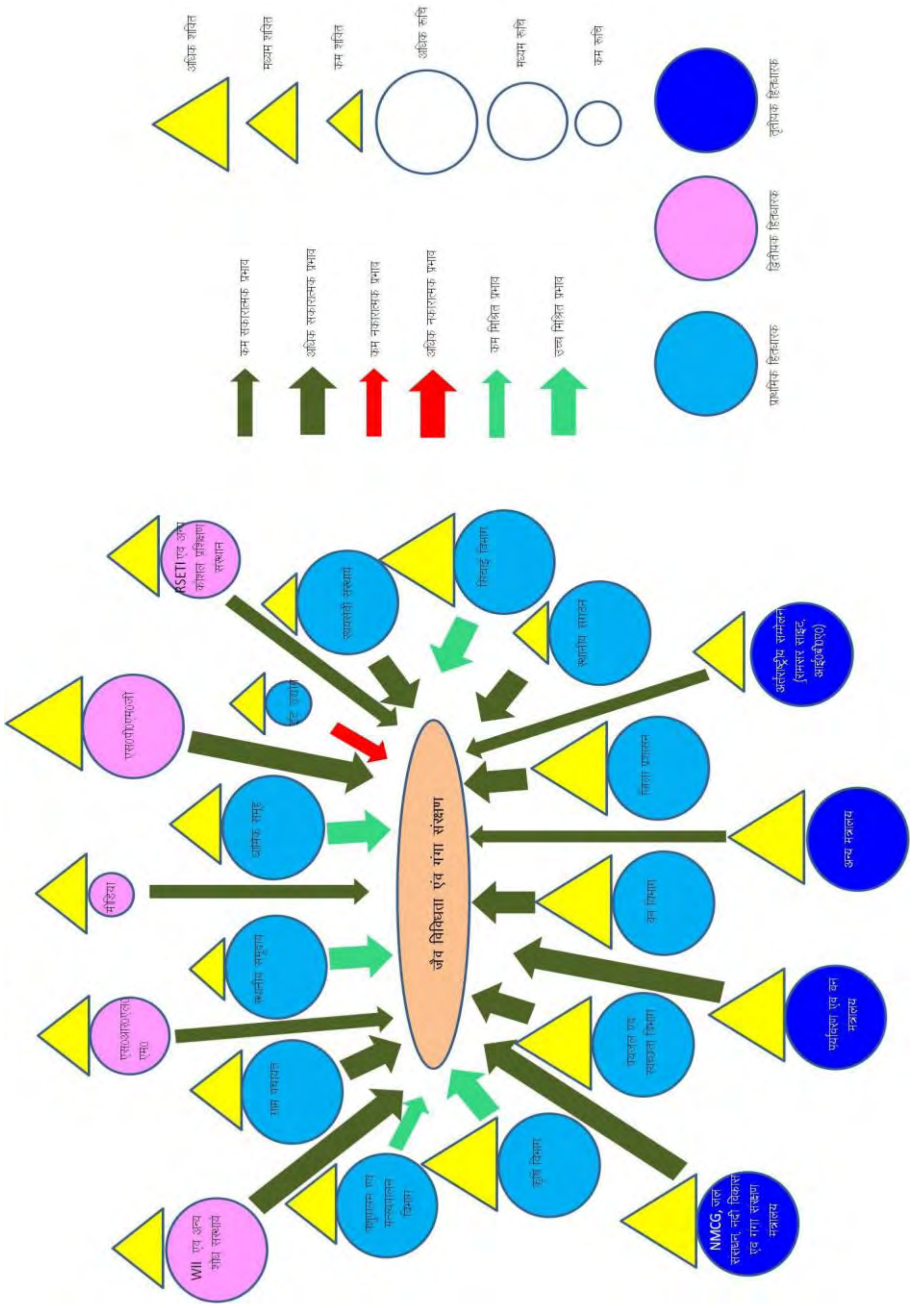

चित्र – 1 हितधारक मानचित्रण

भाग – 4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण

ग्राम पंचायत डोमरी के निवासियों की आजीविका हेतु निर्भरता मजदूरी, हथकरघा तथा कुटीर उद्योगों तथा कृषि कार्यों पर है, ग्राम पंचायत में 10 हैक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। यह परिवार आजीविका हेतु कृषि उत्पादकता पर निर्भर हैं, जिसके लिये खेतों में रासायनिक खादों व कीटनाषकों का प्रयोग किया जाता है। वर्षा होने पर खेती में प्रयुक्त ये रसायन बहकर गंगा के पानी में मिल जाते हैं एवं उसे प्रदूषित करने के साथ ही जैवविविधता को हानि पंहुचाते हैं।

कछुआ सेंचुरी में होने के कारण ग्राम पंचायत में कोई भी पक्का घाट नही है परन्तु धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण माघ मेला, देव दीपावली, दीपावली, छठ पूजा व स्थानीय मेले तथा त्यौहारों के समय आसपास की 15 से 20 ग्राम पंचायतों के अलावा दूर–दूर से तीर्थ यात्रियों का भारी संख्या में यहाँ आगमन होता है, ज्यादातर लोग बिहार राज्य से भी छठ पूजा हेतु आते हैं। गंगा पर अपनी धार्मिक श्रद्धा के कारण ये तीर्थयात्री यहां पर स्नान करने के साथ ही पूजा सामग्री, तस्वीरें, कैलेण्डर, मूर्तियां, धूपबत्ती, कपड़े, पॉलीथीन आदि गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे गंगा के पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।

ग्राम पंचायत में कूड़ा एकत्रीकरण, प्रबन्धन एवं निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों विषेषकर नदी तट पर बिखरा रहता है जो हवा व वर्षा के साथ गंगा के पानी में मिल जाता है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा कपड़े, पॉलीथीन व अन्य सामग्री गंगा के किनारे छोड़ दिये जाते हैं जो गंगा के प्रदूषण का कारण है।

डोमरी ग्राम पंचायत में कुल 200 परिवार पषुपालन करते हैं। गंगा के किनारे की वनस्पति पर पषुओं के चारे हेतु निर्भरता के कारण यहां पर गंगा के जलीय जीवों के प्रजनन स्थल एवं आवास को क्षति हो रही है।

आजीविका हेतु अन्य साधनों एवं कौशल की जानकारी व उपलब्धता नहीं होने के कारण समुदाय को नये क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे गंगा से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है।

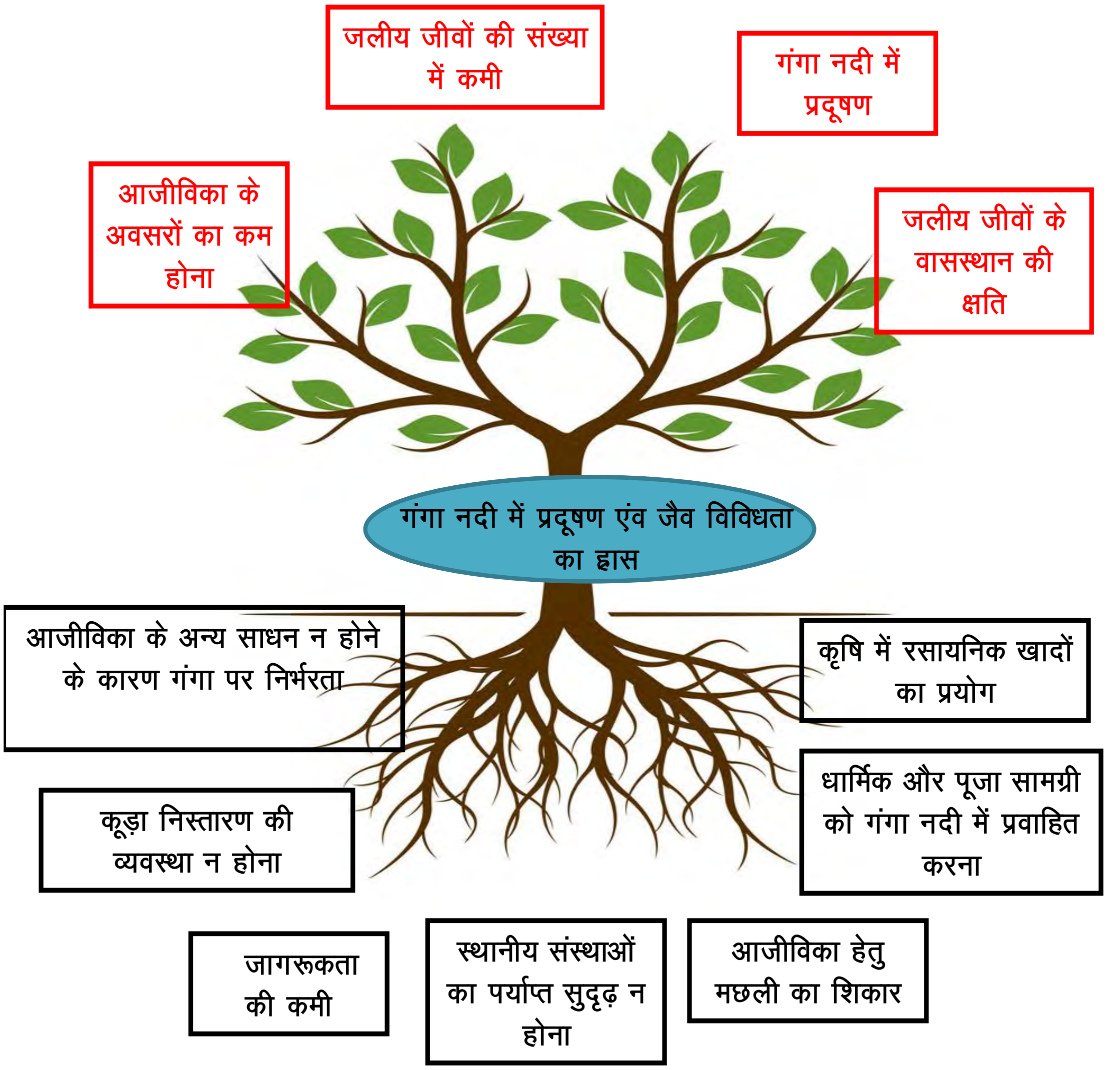

चित्र – 2 समस्या वृक्ष

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

5.1 नियोजन का उद्देश्य

सूक्ष्म नियोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा की जैव विविधता के संरक्षण एवं गंगा की स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिष्चित करना है, जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे ।

दीर्घकालीन उद्देश्य

1. गंगा नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों का संरक्षण करना।

अल्पकालीन उद्देश्य

1. गांव में चल रही विकास की समस्त योजनाओं एवं गतिविधियों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
2. गंगा की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।

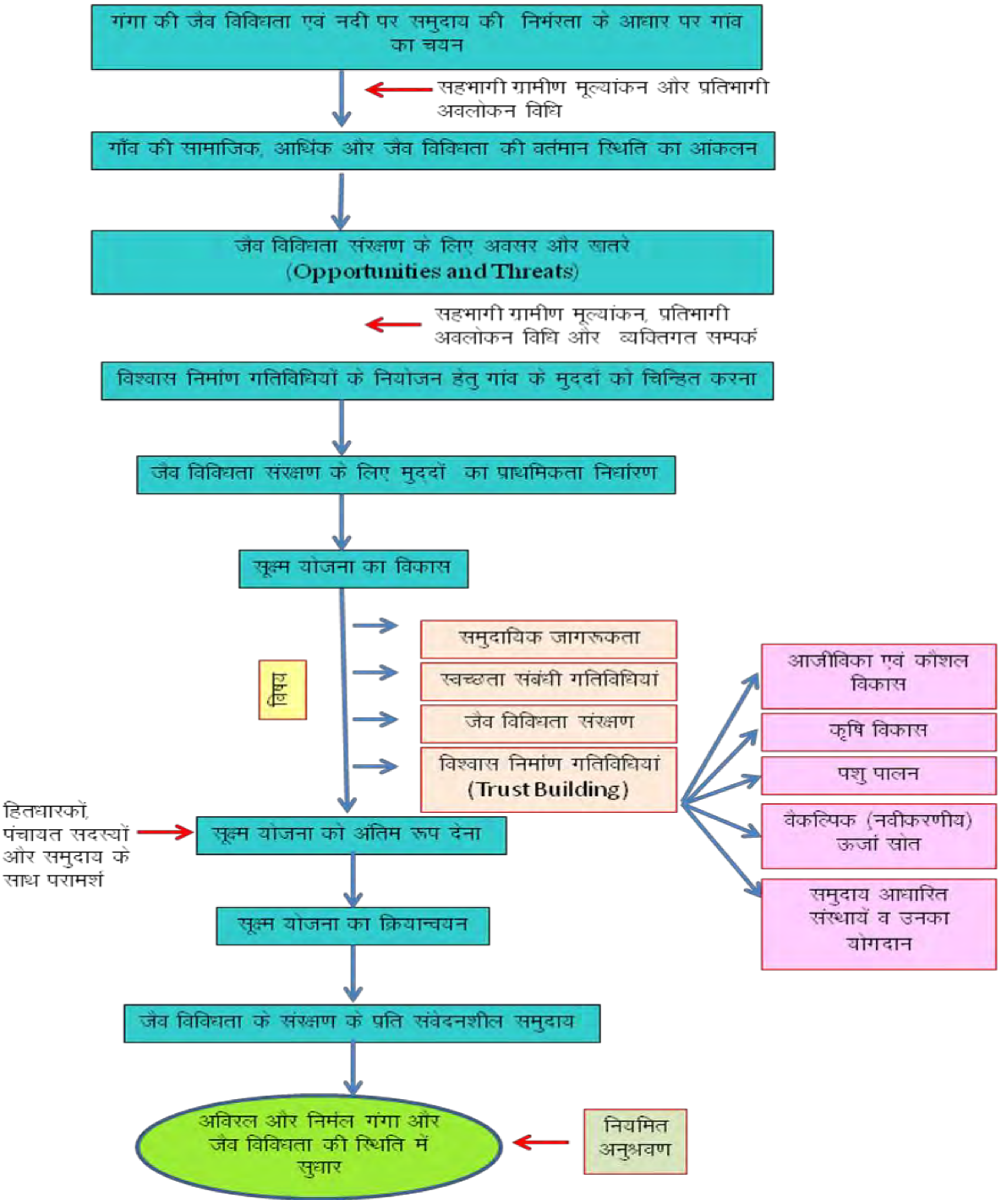

चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया

भाग – 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां

सामुदायिक सहभागिता के साथ योजना का क्रियान्वयन करने एवं किये गये कार्यों की सततता बनाये रखने हेतु आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय किये जा रहे कार्य के महत्व व उसके लाभ के बारे में भलीभांति परिचित हों।

समुदाय में गंगा की स्वच्छता एवं जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में समझ विकसित करने के बाद ही इस कार्य में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे कि वे स्वंय उस कार्य को करने के लिये तैयार हो सकें। समुदाय में बैठकों, चर्चा तथा कार्यषालाएं गंगा नदी व उसके आसपास की जैवविविधता व उसके महत्व, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, आजीविका व कौषल विकास, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जैविक कृषि एवं पशुपालन संबंधी जागरूकता गतिविधियां संचालित करने पर सहमति बनी। जिसके लिये ग्राम पंचायत में निम्न गतिविधियां की जायेंगी।

1. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
2. जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यषाला एवं प्रशिक्षण।
3. समुदाय, विद्यार्थियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।
4. विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
5. गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर कार्यक्रम को सुदृढ़ करना।
6. ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।

6.1..2 समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

समुदाय में उपस्थित सुदृढ़ एवं सक्रिय संस्थायें किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफल बनाने के साथ ही उसकी सततता को भी सुनिश्चित करती हैं। डोमरी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 स्वयं सहायता समूह गठित हैं, जिसमें 75 महिलाएं शामिल हैं। समूह की महिलायें बैंक प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन के अंतर्गत इन समूहों को

15000 / –प्रति समूह रिवाल्विंग फंड प्रदान किया गया है, जिससे समूह के सदस्य आपस में लेन–देन करते हैं। इस फंड से 3 समूहों की महिलाओं के द्वारा अपने–अपने घर पर मशरुम तैयार किए गए। यह उनका पहला प्रयास था, परन्तु महिला समूह को इससे लाभ मिला। कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त समूहों के साथ बैठकें, आजीविका सम्बन्धित गतिविधियां कर समूह के सदस्यों की आजीविका संवर्धन का प्रयास किया जायेगा। साथ ही इन समूहों को जैवविविधता संरक्षण संबंधी जानकारी देकर इन्हें कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें अन्य लोगों को भी इस संबंध में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जायेगा। बैठकों के दौरान आजीविका एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम किये जाने की मांग समुदाय द्वारा की गई है, कार्यक्रम के अंर्तगत महिला एवं युवकों के समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किये जाने के साथ ही जैवविविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया जायेगा ताकि ये समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के साथ ही कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकें। ये समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों पर जागरूकता हेतु एक मंच का कार्य करेंगें। जिसके लिये समुदाय में निम्न गतिविधियां की जानी हैं –

1. समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।
2. समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के (विशेषकर गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण संबंधी) गठन हेतु कार्य करना।
3. पंचायत स्तर पर समितियों के गठन, उद्देष्य एवं कार्यों पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
4. समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु, प्रशिक्षित करना।
5. समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।
6. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।

6.1.3 आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियां

डोमरी ग्राम पंचायत में समुदाय की आजीविका हेतु गंगा पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। समुदाय नौकायन, मछली पकड़ने, धार्मिक एवं व्यवसायिक कार्यों एवं कृषि कार्यों के साथ ही पशुओं के चारे हेतु गंगा पर निर्भर हैं। इन सभी के जलीय जीवों पर पड़ने वाले खतरों को बताकर समुदाय को जागरूक किया जायेगा, जिससे उनकी आजीविका पर भी असर न पड़े और जलीय जीवन भी बचे रह सकें। जैवविविधता संरक्षण हेतु लोगों को सत्त आजीविका के संबंध में जागरूक करने के साथ ही उन्हें वैकल्पिक आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया जायेगा।

बैठकों में चर्चा के बाद ग्राम पंचायत के युवकों एवं युवतियों द्वारा निम्न प्रषिक्षणों की मांग की गई है –

- युवतियों हेतु सिलाई ,कढ़ाई, बुनाई व ब्यूटी पार्लर आदि प्रशिक्षण।
- युवको हेतु मोबाईल रिपेयरिंग, प्लमबिंग, कम्प्यूटर कोर्स, आदि।
- स्थानीय फसलों से विभिन्न सामग्री जैसे लड्डू, बिस्कुट निर्माण, बैकिंग आदि प्रशिक्षण।
- मषरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण।

आजीविका एवं कौषल विकास हेतु समुदाय में निम्न गतिविधियां की जायेंगी –

1. स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।
2. बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।
3. विभिन्न समूहों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रषिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
4. अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
5. महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रषिक्षण दिया जायेगा, जिसमें वो स्थानीय फलों अनाजों से अचार, मुरब्बा, पापड़, चिप्स, लड्डू प्रसाद, अगरबत्ती आदि बनाना सीखेंगी।
6. विभिन्न प्रकार के मषरुम तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
7. प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) से जोड़ना।
8. स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना।

6.1.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियां

डोमरी ग्राम पंचायत में पक्का घाट नही है, परन्तु नियमित धार्मिक मेले गंगा नदी के किनारे आयोजित किये जाते हैं, जिस कारण पंचायत व घाट की स्वच्छता को बनाये रखना आवश्यक हो जाता है। कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा जला दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, परंतु घाट पर शौचालयों एवं कूड़ा निपटान की व्यवस्था न होने के कारण समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा प्रहरी के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जायेगा। स्वच्छता संबंधी निम्न गतिविधियों का संचालन ग्राम पंचायत में किया जाना है –

1. बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता रखने, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।

3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा।
4. कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन करना।
5. ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।
6. सभी जगहों से कूड़ा एकत्र करने के बाद कूड़ा निस्तारण क्षेत्र में डालने हेतु जागरुकता करना।
7. गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गांव वासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।

6.1.5 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

डोमरी ग्राम में 336 परिवारों को उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस कनैक्शन दिये गये हैं। परन्तु सभी के द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। 394 गैस विहीन परिवारों के द्वारा पारम्परिक ईंधन का प्रयोग पूर्ण रुप से किया जाता है। जिससे गंगा के आसपास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता बनी हुई है। इन परिवारों को वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रेरित किया जाना है। इसके लिये जिला स्तर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा), उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से इन परिवारों को एल0पी0जी0 के उपयोग एवं सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त के प्रयोग हेतु समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा। यू0पी0नेडा के सहयोग से ग्राम पंचायत में सोलर ऊर्जा पर जागरूकता गतिविधियां की जायेंगी।

6.1.6 जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियां

जैवविविधिता संरक्षण के प्रति जनसमुदाय को जागरुक करने हेतु ग्राम स्तर पर गंगा प्रहरियों का चयन किया गया है। जो नदी, ग्राम पंचायत तथा आसपास की स्वच्छता के लिये प्रतिबद्ध हैं। ये गंगा घाटों में मेले, स्नान, पर्व के समय अनावश्यक गन्दगी फैलाने वाले लोगों की निगरानी करने एवं स्वच्छता के प्रति समुदाय की जिम्मेदारी तय करने हेतु जागरुक करने का कार्य करते हैं। ये गंगा प्रहरी गांव एवं उसके आसपास उपस्थित गंगा के जलीय जीवों के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने के साथ ही बीमार, घायल, संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित कार्यकर्ताओं/वन विभाग को देंगें जिससे कि उनका बचाव व पुनर्वास किया जा सके। जिसके लिये उन्हें बचाव कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। समुदाय स्तर पर निम्न गतिविधियां की जानी है–

1. गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।

2. पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।
3. जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।
4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग।
5. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1..7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां

डोमरी ग्राम में लगभग 23 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र का भाग गंगा के किनारे स्थित है। कछुआ सेंचुरी होने के कारण गंगा के किनारे खेती नहीं की जाती है परन्तु ग्राम पंचायत में कुल 10 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। 2 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जाती है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के कारण गंगा नदी के जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समुदाय द्वारा जैविक कृषि को अपनाया जा रहा है, परन्तु कुछ भूमि पर रासायनिक खादों व कीटनाशकों का भी उपयोग किया जा रहा है। कृषि विकास संबंधी निम्न कार्य ग्राम पंचायत में किये जाने हैं –

1. रासायनिक खादों के प्रयोग से जलीय जीवों के स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
2. जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।
3. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
4. उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा जैविक खाद बनाने के लिए कृषकों को तैयार किया जायेगा।
6. नर्सरी या पौधषाला निर्माण की जानकारी देना। रेखीय विभागों के साथ समन्वय कर ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. कृषि विभाग के सहयोग से मिट्टी का परीक्षण कर उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।

6.1.8 पशुपालन संबंधी गतिविधियां

डोमरी ग्राम में पशुपालन को व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग 200 परिवारों के पास पशु हैं, जिनके लिये खेतों और गंगा के किनारे से चारा लाया जाता है। पषुओं की उन्नत नस्ल न होने की वजह से इन परिवारों को आय की आजिविका अन्य गतिविधियों को भी करना पड़ता है। पशुपालन संबंधी निम्न कार्य किये जाने हैं –

1. ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्हें मुर्गी, उन्नत नस्ल की बकरी पालन, गाय पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
2. ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से पषुओं के लिए चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमे पशुओं के टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा, जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के प्रति जागरुक किया जायेगा।
3. विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।
4. बंजर खेतों एवं मेढ़ों एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर चारा पत्ती वाले वृक्षों व घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग एवं पंचायत के सहयोग से इस हेतु कार्य करना।

6.2 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है।

क्रम सं0	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान।
2.	वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण।	वन विभाग, उद्यान विभाग ।
3	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण।	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, WISE, HESCO आदि।
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण।	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ
5.	वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी कार्य ।	उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, डी0एस0टी0 तथा उज्जवला योजना।

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

भाग – 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1.	ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
2	जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
3	समुदाय, विद्यार्थियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
4	विभिन्न विभागों से संबंधित ग्रामीण विकास, स्वच्छता, वृक्षारोपण, कौशल विकास, उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
5	ग्राम पंचायत समिति सदस्यों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
6	समुदाय आधारित संस्थाओं के महत्व पर चर्चा हेतु बैठकों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
7	समुदाय में विभिन्न संस्थाओं के (विशेषकर गंगा नदी की जैवविविधता संरक्षण संबंधी) गठन हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
8	पंचायत स्तर पर समितियों के गठन, उद्देश्य एवं कार्यों पर चर्चा हेतु बैठकों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
9	समूह के सदस्यों एवं समुदाय के अन्य लोगों को जैव विविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
10	समूह के उद्देश्यों एवं कार्यों में जैवविविधता संरक्षण को शामिल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।

11	सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को समूह में शामिल करना एवं कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
12	स्थानीय समुदाय हेतु प्रस्तावित विभिन्न प्रशिक्षणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु विकास खंड व जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
13	बैठकों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
14	विभिन्न समूहों के लिए में चलाई जा रही विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु समुदाय को प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
15	अधिक से अधिक महिलाओं को आजीविका एवं कौशल विकास गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
16	महिलाओं को खादय् प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें वो स्थानीय फलों अनाजों से अचार, मुरब्बा, पापड़, चिप्स, लड्डू प्रसाद, अगरबत्ती आदि बनाना सीखेंगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
17	विभिन्न प्रकार के मशरुम तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
18	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी / लोन) से जोड़ना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य ळें
19	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों हेतु बाजार विकसित करना	बाजार विकसित करने हेतु विभिन्न संगठनों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
20	बैठकों, अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता रखने, शौचालयों के निर्माण एवं प्रयोग हेतु जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य ळें
21	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
22	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर शौचालय निर्माण, ग्राम व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।

	को स्थापित किया जायेगा।	
23	कूड़ादान का उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
24	ग्राम पंचायत को पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा निस्तारण की जगह (Dumping ground) चिन्हित करने हेतु तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
25	सभी जगहों से कूड़ा एकत्र करने के बाद कूडा निस्तारण क्षेत्र में डालने हेतु जागरुकता करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
26	गंगा की स्वच्छता के लिये मासिक बैठक कर गांव वासियों व गंगा प्रहरियों के सहयोग से गंगा के तट व घाटों की सफाई की जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
27	ग्राम पंचायत में सोलर ऊर्जा पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
28	गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
29	पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबन्धन समिति के गठन हेतु पहल करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
30	जैवविविधता प्रबन्धन समिति के साथ गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण के संबंध में चर्चा एवं उसमें उनकी भूमिका सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
31	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं सहयोग।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
32	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
33	रासायनिक खादों के प्रयोग से जलीय जीवों के स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।
34	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है।

35	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
36	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रशिक्षण देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
37	नर्सरी या पौधशाला निर्माण की जानकारी देना। रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
38	कृषि विभाग के सहयोग से मिट्टी का परीक्षण कर उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
39	ग्राम पंचायत के नवयुवकों को पशुपालन, डेरी सम्बन्धी व्यवसाय से जीविकोपार्जन करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्हें मुर्गी, उन्नत नस्ल की बकरी पालन, गाय पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
40	ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा विभाग के सहयोग से पशुओं के लिए चिकित्सा शिविर आदि लगाये जायेगें, जिसमे पशुओं के टीकाकरण एवं बीमारियों का उपचार किया जायेगा, जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के प्रति जागरुक किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
41	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बाएफ) से अच्छी नस्ल के दुधारू पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
42	बंजर खेतों एवं मेढ़ों एवं पंचायत की भूमि पर चारा पत्ती वाले वृक्षों व घास रोपण हेतु जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही कृषि विभाग के सहयोग से इस हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रुप से व्यवहार्य है परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट

ग्राम पंचायत डोमरी में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पंहुचाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट डोमरी				
क्रम सं0	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर समुदाय व विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ कार्यशाला एवं प्रशिक्षण	10	30000	300000
ii	रैली	10	20000	200000
iii	नुक्कड़ नाटक	5	10000	50000
iv	दीवार लेखन	50	500	25000
v	घाटों पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
vi	जैवविविधता प्रबन्धन समिति का गठन एवं गंगा के जलीय जीवों के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा हेतु बैठक	6	5000	30000
vii	विभिन्न विभागों/कार्यक्रमों के सहयोग से स्थानीय समुदाय के लिये विभिन्न आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी हेतु बैठक	10	5000	50000
viii	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके निपटान के बारे में समुदाय के साथ जागरूकता बैठकें	5	5000	25000
ix	मछली के शिकार (sustainable fishing) एवं उचित जाल पर जागरूकता बैठकें	5	5000	25000
				725000

2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	समूह के गठन, उद्देश्य, कार्यों एवं रिकार्ड रखरखाव पर चर्चा हेतु बैठकें एवं प्रशिक्षण	10	10000	100000
ii	शैक्षिक भ्रमण	1	50000	50000
iii	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी व बाल गंगा प्रहरी को जैव विविधता संबंधी प्रशिक्षण	5	20000	100000
iv	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षण	4	100000	400000
v	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला	2	20000	40000
vi	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण	2	50000	100000
vii	जैविक कृषि के लाभ एवं तरीकों पर प्रशिक्षण।	2	50000	100000
viii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी, एवं खेतों में चारा घास रोपण हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण (कृषि विभाग के सहयोग से)	1	50000	50000
ix	गाय, बकरी तथा कुक्कुट पालन प्रशिक्षण	1	100000	100000
X	नर्सरी एवं पौधशाला निर्माण प्रशिक्षण	1	50000	50000
				1090000
3	**प्रदर्शन (Demonstration) एवं निर्माण**			
i	प्रदर्शन (Demonstration) वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	उन्नत कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रर्दशन	1	50000	50000
iii	पशु चिकित्सा शिविर	4	10000	40000
iv	सक्रिय समूह को आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करने हेतु रिवॉल्विंग फंड			50000
v	स्वच्छता अभियान का आयोजन	24	2000	48000
vi	गंगा किनारे वृक्षारोपण			20000
				248000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**	1	10000	240000

i	फील्ड असिस्टेंट			100000
ii	यात्रा व्यय			**340000**
कुल (1+2+3+4)				**2403000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उपरोक्त कार्ययोजना का समय समय पर अनुश्रवण कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगें।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन0एम0सी0जी) – भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें –

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन – भारतीय वन्य जीव संस्थान

- जागरूकता गतिविधियां, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।

- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रषिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय–समय स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन।

7.5 विवाद का निपटारा

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 अभिलेखों का रखरखाव

अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।
ग्राम स्तर पर निम्न रिकार्ड रखे जायेंगे–

- गंगा की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक

1- गंगा नदी एवं उसके बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (cadre) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदाय एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2- कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और गंगा के संरक्षण हेतु उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।

3- ग्राम पंचायत में एक मंच तैयार किया जा चुका है जहां पर विभिन्न हितधारक गंगा एवं उसकी जलीय जैवविविधता के संरक्षण से संबंधित चर्चा एवं क्रियाकलाप कर सकते हैं।

4- गंगा नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।

5- समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।

6- ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।

7- समुदाय गंगा जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं स्वंय गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।

8- आजीविका अवसरों में वृद्धि।

9- गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को गंगा के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

Panchayati Raj

नमामि गंगे

जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्वार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रयास

समझौता ज्ञापन

जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना " जैव विविधता संरक्षण और गंगा जीर्णेद्वार" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से,गंगा नदी की जलीय प्रजातियो के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर ग्राम पंचायत (डोमरी वि०ख०-काशीविद्यापीठ) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 08/12/17 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा नदी की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्वता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

1–स्थानीय समुदायों के बीच,गंगा नदी के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए,गंगा प्रहरी का सृजन।

2–घायल एवं बीमार जलीय जीव–जंतुओं के बचाव तथा पुर्नवास के लिए सकिय भागीदारी,विशेष रुप से स्थानीय समुदायों द्वारा।

3– नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ का दीर्घकालिक उपयोग।

4–सम्मिलित पंचायत के सभी सदस्यों के लिए स्थान –विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी दल इस समझौते ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते है।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षरः

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से हस्ताक्षर

हस्ताक्षर – रुचि

नाम –डा. रुचि बडोला

शीर्षक– परियोजना समन्वयक,भारतीय वन्यजीव संस्थान

दिनांक –

पंचायत की ओर से हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत–डोमरी ग्राम प्रधान वि०ख० का० वि० पी० वाराणसी

हस्ताक्षर –

नाम – श्री छोटे लाल पटेल

शीर्षक – ग्राम प्रधान

दिनांक – 8/12/17

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत डोमरी

सामुदायिक बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

ग्राम पंचायत – डोमैरी (स्वच्छ कार्ययोजना)

क्रम संख्या	नाम व पता	पद	मो० नं०	हस्ताक्षर
01	दर्शन कुमार निषाद खुजाबाद – वारा	गंगा प्रहरी	7398409333	[illegible]
02	राजेश कुमार निषाद डोमरी – वारा	गंगा प्रहरी	7355530879	[illegible]
03	सत्यम निषाद खुजाबाद – वारा	बाल गंगा प्रहरी	9335516335	Satyam
04	Payal Sharma	गंगा प्रहरी	7268921213	Payal
05	विशाल कुमार	गंगा प्रहरी	7275785071	विशाल
06	धनंजय कुमार	गंगा प्रहरी	6387561459	Dhananjay
07	किरन पटेल			
8	मीरा देवी	गंगा प्रहरी	7080789174	Kiran
9	आकांक्षा पटेल	गंगा प्रहरी	9044801593	मीरा देवी
10	नीलम पटेल	गंगा प्रहरी	9198999040	Akanksha
11	चाँदनी पटेल	गंगा प्रहरी	9198999040	Neelam
12	सरिता देवी	गंगा प्रहरी	7080789174	Chandni, सरिता देवी
13	सुधा कुमारी	गंगा प्रहरी	8887596519	सुधा कु०
14	सुमन कुमारी	गंगा प्रहरी	9682962320	सुमन कु
15	सुजाता कुमारी	गंगा प्रहरी	7839757686	सुजाता
16	साक्षी कुमारी	गंगा प्रहरी	9794598538	साक्षी कु
17	[illegible] देवी			

क्रम संख्या	नाम व पता	पद	सम्पर्क मो० नं०	हस्ताक्षर
01	उर्मिला देवी डोमरी	समूह सदस्य (अध्यक्ष)	6386784134	उर्मिला देवी
02	सावित्री देवी डोमरी	समूह सदस्य (सचिव)	6386784134	सावित्री देवी
03	इन्द्रावती देवी डोमरी	सदस्य	9140677211	[illegible]
04	रमन्द सिंह	प्रतिनिधि सदस्य	7309511040	[illegible]
05	दशरथ डोमरी	ग्राम-सदस्य	9198572096	[illegible]
06	लालविजय विश्वकर्मा डोमरी	ग्राम सदस्य	7052243020	लालविजय
07	Sujeet Patel Domari	ग्राम-सदस्य	- - - - -	[illegible]
08	गीता देवी	समूह सदस्य		गीता देवी
09	पवन कुमार पाण्डेय	सदस्य	9889542096	पवन कुमार पाण्डेय
10	रानी शर्मा	B.L.O	7897880474	रानी
11	हेमा	माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह		हेमा
12	मुन्नी देवी	सदस्य (आर्थिक स्वयं सहायता)		मुन्नी देवी
13				
14	सामरायिया देवी वार्ड 1,2,3,4	क्षेत्र पंचायत सदस्य	8933068371	सुनील
15	सुनील राजभर वार्ड 3	ग्राम सदस्य		सुनील
16	महेश निषाद वार्ड 9			
17	ईशान विश्वकर्मा	ग्राम सदस्य	7880434429	[illegible]
		ग्राम सदस्य	8542968845	[illegible]
18	पवन कुमार	ग्राम सदस्य		
19	सुजाता कुमारी		7839757686	सुजाता
20	अपना कुमारी		8765849856	अपना
21	Chandrabali kumar Sahani	" "	9545081448	[illegible]
22	रूबी कुमारी		7388580159	रूबी
23	सुधा कुमारी	ग्राम सदस्य	8887596519	सुधा
	आकांक्षा पटेल	" "	9198999040	आकांक्षा
	नीलम पटेल	ग्राम सदस्य	9198999040	[illegible]

फोटो गैलरी

BIODIVERSITY AND GANGA CONSERVATION
NOKIA | ZEISS

अपात्र
अपात्र

xternal AFFair
nt of

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India